<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11/2023 **दायर दिनांकः 24/03/2023**

उनवान

1. ग्यारसीराम आयु 52 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड़ निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>आदेश</u> **दिनाकः 23/12/2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू में प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 252 का खसरा न. 22 का रकबा 0.70 है., खसरा न. 28 का रकबा 0.44 है., खसरा न. 29 का रकबा 1.20 है., खसरा न. 31 का रकबा 0.79 है. कुल किता 4 का रकबा 3.13 है. आराजी हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 255 का खसरा न. 341 का रकबा 0.17 है., खसरा न. 582 का रकबा 0.01 है., खसरा न. 583 का रकबा 1.74 है. कुल किता 3 का रकबा 1.92 है. आराजी हिस्सा 1/4 दर्ज खाता चली आ रही है, खाता संख्या 252 व 255 की नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। यह कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजीयात में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों दद्वारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय सहवन से ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर खाता संख्या 252 में धनराज पुत्र बजरंगलाल व खाता संख्या 255 में धनराज पुत्र बजरंगा अंकित कर दिया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल है जो कि उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:23 IST
Reason: SelfAttested

ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम धनराज पुत्र बजरंगलाल व धनराज पुत्र बजरंगा के स्थान पर ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम गलत अंकित कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना में आराजी खाता संख्या 252 का खसरा न. 22 का रकबा 0.70 है., खसरा न. 28 का रकबा 0.44 है., खसरा न. 29 का रकबा 1.20 है., खसरा न. 31 का रकबा 0.79 है. कुल किता 4 का रकबा 3.13 है. आराजी हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 255 का खसरा न. 341 का रकबा 0.17 है., खसरा न. 582 का रकबा 0.01 है., खसरा न. 583 का रकबा 1.74 है. कुल किता 3 का रकबा 1.92 है. आराजी हिस्सा 1/4 आराजीयात में प्रार्थी का नाम धनराज पुत्र बजरंगलाल व धनराज पुत्र बजरंगा के स्थान पर ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से [illegible] ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/3523 दिनांक [illegible] से रिपोर्ट भिजवायी गई, जो शामिल फाईल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:23 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी ने साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र गयारसीराम पुत्र बजरंगलाल व दाखा बाई पुत्री बजरंगलाल पेश किये गये तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहसी सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अन्ताना सम्वत 2071–74 खाता संख्या 252, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अन्ताना सम्वत 2071–74 खाता संख्या 255, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, किसान केडिट कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार अटरू का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल अन्ताना खाता संख्या 252 का खसरा न. 22 का रकबा 0.70 है., खसरा न. 28 का रकबा 0.44 है., खसरा न. 29 का रकबा 1.20 है., खसरा न. 31 का रकबा 0.79 है. कुल किता 4 का रकबा 3.13 है. आराजी में सहखातेदार धनराज पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल तथा खाता संख्या 255 का खसरा न. 341 का रकबा 0.17 है., खसरा न. 582 का रकबा 0.01 है., खसरा न. 583 का रकबा 1.74 है. कुल किता 3 का रकबा 1.92 हे0 आराजी में सहखातेदार धनराज पुत्र बजरंगा के स्थान पर ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल अन्ताना खाता संख्या 252 का खसरा न. 22 का रकबा 0.70 है., खसरा न. 28 का रकबा 0.44 है., खसरा न. 29 का रकबा 1.20 है., खसरा न. 31 का रकबा 0.79 है. कुल किता 4 का रकबा 3.13 है. आराजी में सहखातेदार धनराज पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल तथा खाता संख्या 255 का खसरा न. 341 का रकबा 0.17 है., खसरा न. 582 का रकबा 0.01 है., खसरा न. 583 का रकबा 1.74 है. कुल किता 3 का रकबा 1.92 हे0 आराजी में सहखातेदार धनराज पुत्र बजरंगा के स्थान पर ग्यारसीराम पुत्र बजरंगलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:23 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:05:23 IST
Reason: SelfAttested